- **श्री कँवल तनुज, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, कटिहार की अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2020 को पूर्वाहन 10:00 बजे COVID-19 (Corona Virus) के संभावित संक्रमण की रोकथाम हेतु विभिन्न कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी तथा जिला–स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।**

- **उपस्थिति :– पंजी अनुसार**

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विभिन्न कोषांगों के नोडल एवं वरीय पदाधिकारी तथा जिला–स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी तथा COVID-19 के संभावित संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये :–

- **स्वास्थ्य विभाग :**

1. नोडल पदाधिकारी Confirmed cases कोषांग –सह– सिविल सर्जन,कटिहार/DPM (Health) से जिले में अभी तक 05 (पाँच) Corona positive व्यक्तियों के प्राथमिक सम्पर्क (High risk/Low risk contact) एवं द्वितीय सम्पर्क में आये व्यक्तियों के संबंध में निम्नवत पृच्छा की गई–

   i. प्राथमिक सम्पर्क (High risk contact) वाले व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों का Sample लेकर जाँच के लिए भेजा गया ?

   ii. प्राथमिक सम्पर्क वाले सभी व्यक्तियों को क्या Quarantine कर दिया गया है ?

   iii. क्या द्वितीय सम्पर्क वाले सभी व्यक्तियों को संबंधित प्रखण्ड मुख्यालय के चिन्हित Quarantine camp में आवासित कर दिया गया है ?

जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) द्वारा उक्त पृच्छा के बिन्दुओं पर कोई संतोषजनक एवं ठोस तथ्य सहित जवाब नहीं दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि विनायक होटल, भेरिया रहिका, कटिहार में 02 Corona positive व्यक्तियों को Isolation में रखा गया है एवं शेष 03 Corona positive व्यक्तियों को जैन अतिथि भवन, बिनोदपुर, कटिहार में Isolation में रखा गया है। जैन अतिथि भवन, बिनोदपुर, कटिहार के ground floor स्थित hall में प्राथमिक सम्पर्क (High risk contact) वाले व्यक्तियों को रखा गया है। साथ ही बंगाली टोला से Corona Positive पाये गये व्यक्ति के प्रथम सम्पर्क लाला सहनी को विनायक होटल में Positive व्यक्ति के संपर्क में रखा गया था।

Corona positive एवं सामान्य व्यक्तियों को एक ही परिसर में रखे जाने पर गहरा खेद व्यक्त किया गया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) से पृच्छा किये जाने पर कि निदेशित किये जाने के बावजूद Corona Virus के संक्रामक प्रवृत्ति को क्यों गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है एवं क्यों सामान्य व्यक्तियों को Corona positive व्यक्ति के निकट ही आवासित किया जा रहा है, उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। सिविल सर्जन, कटिहार द्वारा लाली कुमारी की माँ द्वारा बच्ची को अकेले नहीं छोड़े जाने की बात कही गई।

निदेश दिया गया कि जैसा कि पूर्व में भी निर्देश दिये गये हैं कि Corona positive व्यक्ति यदि अकेले हों, तो उन्हें विनायक होटल, भेरिया रहिका, कटिहार में आवासित किया जाएगा एवं यदि सहयोगी/परिजन के साथ हों, तो उन्हें जैन भवन, कटिहार में आवासित किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) को निदेश दिया गया कि दिये गए निर्देश के अनुरूप सभी Corona Positive व्यक्तियों को अविलम्ब विनायक होटल, भेरिया रहिका, कटिहार में Shift कराकर Isolate करते हुए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एतद् संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन अपराह्न 5 बजे तक उपलब्ध करायेंगे।

2. नोडल पदाधिकारी Confirmed cases कोषांग –सह– सिविल सर्जन, कटिहार / जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) को निदेश दिया गया कि सभी प्राथमिक सम्पर्क (High risk contact) वाले व्यक्तियों को अग्रसेन भवन, बिनोदपुर, कटिहार में अलग–अलग रखा जाय। इन सभी व्यक्तियों का सेम्पल लेकर निश्चित रूप से जाँच के लिए भेजा जाय। जिनका सेम्पल रिपोर्ट corona positive आये उन्हें विनायक होटल के Isolation ward में रखा जाय। शेष Corona negative व्यक्तियों को Home Quarantine कराया जाय।

3. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) से House -to- House सर्वे के संबंध में अद्यतन स्थिति के संबंध में पृच्छा की गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा उनको आवंटित वार्ड / सेक्टर में House -to- House सर्वे किया जा रहा है, किन्तु ANM को उनके साथ सम्बद्ध नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में सर्वे कार्य में सेविकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) से इस संबंध में पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया गया। साथ ही प्रति 04 सेक्टर पर चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। ना ही मांगे जाने पर भी पत्र की कोई प्रति उपलब्ध कराई गई।

सिविल सर्जन, कटिहार को निदेश दिया गया कि–

i. Containment zone के अन्तर्गत प्रत्येक सेक्टर / वार्ड में यथाशीघ्र ए०एन०एम० / चिकित्सक (प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक / प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक) की प्रतिनियुक्ति यथाशीघ्र करते हुए सर्वे दिनांक–05.05.2020 तक कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पूरे जिले में हाउस–टू–हाउस सर्वे कार्य 03 दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित करेंगे।

   जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) House -to- House सर्वे का प्रतिवेदन प्रतिदिन पूर्वाह्न 10.00 बजे एवं अपराह्न 06.00 बजे तक अचूक रूप से भेजेंगे।

ii. सभी 05 Confirmed cases से संबंधित व्यक्तियों के प्राथमिक सम्पर्क (High risk contact) की सूची दिनांक–05.05.2020 के पूर्वाह्न 10.00 बजे तक निश्चित रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

   उपर्युक्त सभी Confirmed cases से संबंधित Containment zone को functional कराते हुए प्रतिवेदन 05.05.2020 के पूर्वाह्न 10.00 बजे तक उपलब्ध करायेंगे।

iii. उपर्युक्त Confirmed cases से संबंधित प्राथमिक सम्पर्क वाले व्यक्तियों लाला सहनी, धर्मेन्द्र कुमार मृत्युंजय कुमार एवं नागो झा (लाली कुमारी के दादा) का आज ही कटिहार मेडिकल कॉलेज में Sample लेकर जांच के लिए भेजेंगे एवं Sample का result आने तक इन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज में हीं रखा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का Sample लेने के पश्चात् result आये बिना कटिहार मेडिकल कॉलेज से विमुक्त नहीं किया जाएगा। Covid Positive एवं Negative cases के संदर्भ में दिये गए निदेश के अनुरूप अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने के पश्चात् आवश्यकतानुसार उन्हें Quarantine / Isolation में भेजा जाय।

   साथ ही प्राथमिक सम्पर्क वाले सभी व्यक्तियों के नाम एवं उनके Quarantine ward (Hotel) के नाम की सूची भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

iv. प्राथमिक सम्पर्क (High risk contact) वाले व्यक्तियों के साथ रहनेवाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग के मानक के अनुसार ससमय चाय, नाश्ता, भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी करेंगे।

4. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) को निदेश दिया गया कि Containment zone के अन्तर्गत सभी द्वितीय सम्पर्क वाले व्यक्तियों को संबंधित प्रखण्ड में Home Quarantine कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) द्वारा बताया गया कि ऋषि भवन, कटिहार में Corona Positive व्यक्ति के प्रथम संपर्क को रखा गया था। रात में कुछ अप्रवासी मजदूरों को भी उक्त भवन में आवासित किया गया है। पृच्छा किये जाने पर कि ऋषि भवन, कटिहार का चयन संपर्क व्यक्तियों हेतु कब किया गया एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को क्यों नहीं दी गई। जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

सिविल सर्जन, कटिहार से पृच्छा की गई कि Corona positive व्यक्ति के प्रथम संपर्क में आये व्यक्तियों के साथ अप्रवासी मजदूरों को रखते हुए विभागीय Guidelines का उल्लंघन क्यों किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। " यह DS द्वारा किया गया है एवं DS मेरी सुनते नहीं हैं।" सिविल सर्जन, कटिहार को DS से स्पष्टीकरण की मांग हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन–नोडल पदाधिकारी, Confirmed cases कोषांग –सह– सिविल सर्जन, कटिहार/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS))

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

4/5

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक–1177/सी० दिनांक 04.05 2020 ई०।

प्रतिलिपि– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।
प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, कटिहार एवं अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी कोषांगो के नोडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला स्तरीय सभी प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– सिविल सर्जन, कटिहार एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य), कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, कटिहार को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु प्रेषित।

4/5

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

SuperF:\Nishu_Jha\PROCEEDING 04.05.doc